FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ जिला चूरू

दारा सिंह बनाम सरकार

मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमा 316 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
26/3/21	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी दारा सिंह पुत्र मोहनलाल जाति चाणक नि डिंगली तहसील राजगढ़ जिला चूरू नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 131 ख0नं0 470, 471, 476, 81, 82, 83, 92, 93, 94, 95 कुल तादाद 10.01 हैक्टे वाके रोही डिंगली तहसील राजगढ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी का गलत नाम सुभाष पुत्र मोहन भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम दारासिंह पुत्र मोहनलाल दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 131 ख0नं0 470, 471, 476, 81, 82, 83, 92, 93, 94, 95 कुल तादाद 10.01 हैक्टे वाके रोही डिंगली तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम सुभाष पुत्र मोहन के स्थान पर सही नाम दारा सिंह पुत्र मोहनलाल शुद्ध किया जावे। तद्नुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी	